



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बहराइच।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 04-04-2026

विषय- जिला कारागार, बहराइच के सिद्धदोष बंदी बृजेश्वर सिंह उर्फ धीरू सिंह पुत्र श्री सुखदराज सिंह, निवासी जनपद-बहराइच को पत्नी के उपचार एवं मकान मरम्मत हेतु पूर्व स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) अवधि में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-C-01/प्रोबे0/बंदी/पैरोल-वृद्धि/2026-27, दिनांक 02-04-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, बहराइच के सिद्धदोष बंदी बृजेश्वर सिंह उर्फ धीरू सिंह (बंदी संख्या-175/2019) पुत्र श्री सुखदराज सिंह, निवासी जनपद-बहराइच को शासनादेश संख्या-73जेएल/22-3-2026-ई-1786162, दिनांक 06-03-2026 द्वारा पत्नी के उपचार एवं मकान मरम्मत हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) अवधि में एक माह की वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
- 2- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।